भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 38
सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

आईटी क्षेत्र में कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का अध्ययन

†38. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा (आईटीईएस) क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों में अत्यधिक कार्यभार, तनाव संबंधी विकारों और अन्य प्रोफेशन जनित स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती रिपोर्टों की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन कराया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त मुद्दों की जाँच करने और इस संबंध में उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों की एक समिति गठित करने का विचार है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): 'श्रम' का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में विनियमित किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में, इसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से लागू किया जाता है, जबकि राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन, राज्य के श्रम प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मौजूदा श्रम कानूनों के अनुसार, अधिकांश निजी क्षेत्र की संस्थाओं में कार्य दशाएं, जिनमें आईटी और आईटीईएस क्षेत्र की संस्थाएँ भी शामिल हैं, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं, जिसके लिए समुचित सरकार राज्य सरकार होती है।

इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 अधिनियमित की है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हो गई है, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाओं की संस्थाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण का संरक्षण किया जा सके।

******